बनाम

पत्रावली पेश। अधि० प्रार्थी हाजिर। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहसमुताबिक आवेदन रही। विवादित भूमि पर प्रार्थी के हित निहित है तथा दौराने वाद विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी गण की बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाता है कि वह विवादित भूमि ख.नं. 1835/803, 1838/842, 1877/842, 1880/843, 1883/843, 1885/843, 1886/804, 1892/786 कुल किता 06 कुल रकबा 2.1100 हैक्टर तथा भूमि ख.नं. 1878/842, 1879/842, 1881/843, 1891/786, 1895/787, 84 कुल किता 06 कुल रकबा 0.2400 हैक्टर वाके ग्राम साहा किशनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि पर मौके पर कोई क्रिया-स्थिति न बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर